न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—246 / 2013 / 223 (2013 / 00013)

1. प्रेमकुमार पुत्र भोलाशंकर, जाति यादव, निवासी सूतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. विरेन्द्रसिंह पुत्र भोलाशंकर, जाति यादव, निवासी सूतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर हाल निवासी भगवान स्वरूप यादव मास्टर साहब का मकान, यादव मौहल्ला, श्रीनगर, उप—तहसील श्रीनगर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

3. उमेश कुमार पुत्र भोलाशंकर, जाति यादव, निवासी सूतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
4. कोशल कुमार पुत्र भोलाशंकर, जाति यादव, निवासी सूतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 4.10. 2012 अंतर्गत वाद संख्या 83 / 2012.

उपस्थितः—

1. श्री नौरतमल जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री सुमित जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.
4. प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।
5. प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 4 स्वंय उपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—25.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.10.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 / वादी ने अधी0न्याया0 में वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश ग्राम बारह पत्थर, तहसील नसीराबाद स्थिति भूमि हाल खसरा नंबर 1105, 1106, 1107 व 1108 बाबत् प्रस्तुत किया । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 4.10.2012 को पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.10.2012 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई विधिवत् नोटिस ही तामील नहीं कराये गये । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर मौजूद नोटिस पर दिनांक 22.6.2012 को तामील कुनिन्दा द्वारा अदम तामील की रिपोर्ट प्रेषित की गई इसके बावजूद बिना नोटिस तामील कराये व सुनवाई का अवसर दिये अधी0न्याया0 द्वारा विधि के प्रतिकूल निर्णय पारित कर दिया गया तथा अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 को बिना नोटिस तामील करवाये दिनांक 4.10.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई जबकि नोटिस दिनांक 22.6. 2012 अदम तामील थे । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि साबिक खसरा नंबर 899/1 एवं 900 कुल भूमि 13–16–00 बीघा अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 एवं प्रफोमा रेस्पो0 संख्या 3 व 4 व उनके पिता भोला शंकर के मध्य अपीलाधीन भूमि के बाबत् पारिवारिक समझौता दिनांक 25.2.2008 को निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से सत्यापित कराया गया जिसके अनुसार अपीलाधीन भूमि में से 2–15–4 बीघा भूमि अपीलांट के पिता भोलाशंकर को दी गई जिसकी जानकारी रेस्पो0 को थी । रेस्पो0 द्वारा पारिवारिक समझौते को छिपाकर निर्णय व डिक्री पारित करवाई गई यहां तक अधी0न्याया0 के समक्ष वादी के द्वारा अपने अभिवचनों को सत्यापित करने हेतु एवं दस्तावेज को प्रदर्शित करने हेतु बयान ही नहीं दिये गये एवं अधी0न्याया0 द्वारा बिना बयान के अप्रदर्शित दस्तावेज के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध है जिसे निरस्त किया जावे । प्रकरण अधी0न्याया0 को उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 4. 10.2012 के संदर्भ में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 दिनांक 7.6.2013 को मोके पर ओर कहा कि उनके पक्ष में निर्णय व डिक्री हो चुकी है तब जानकारी हुई । तत्पश्चात् अपीलांट ने निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित है। अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन पत्रावली दिनांक 23.8. 2012 को इंतजार तलबी में दिनांक 4.10.2012 को रखी गई एवं दिनांक 4.10.2012 को अपीलांट एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 को बिना नोटिस तामील कराये एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं रेस्पो0/वादी द्वारा भी अपने वाद को सिद्ध करने हेतु न तो बया नही दिये एवं न ही कोई दस्तावेज ही प्रदर्श कराये गये है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभिवचन साक्ष्य नहीं है । अभिवचनों

को सिद्ध करने हेतु वादी को साक्ष्य एवं दस्तावेज से तथ्यों को सिद्ध करना आवश्यक है एवं बिना प्रदर्शित दस्तावेज पर न्यायालय निर्णय पारित नहीं कर सकती है । हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा अपने वादपत्र को सिद्ध करने हेतु न तो बयान ही कराए गये है एवं न ही दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये है । अधी0न्याया0 द्वारा बिना प्रदर्शित जमाबंदी के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 4.10.2012 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा वाद संख्या 83/2012 में पारित निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 4.10.2012 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 25.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर